महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में वृद्धि

2083. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री रणजीत सिंह:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं को उपलब्ध संवैधानिक तथा कानूनी रक्षोपायों की सरकार द्वारा निगरानी किए जाने के बावजूद भी पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के प्रति किये जाने वाले अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) देश के विभिन्न भागों में पिछले पांच वर्षों के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अपराधों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (ग) महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों सहित, अपराधों को दायर करने, उनकी छानबीन करने, उनका पता लगाने और रोकथाम करने का दायित्व राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों का है। मामलों को दर्ज करने, उनकी जांच करने, तथा उन्हें न्यायालय में दायर करने की कार्यवाही करना भी उन्हीं का काम है। इस श्रेणी के अपराधों की रोकथाम करना भी इनके अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, ऐसे अपराधों की रोकथाम करने के लिए भारत सरकार ने कई उपाय शुरू किए हैं। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को वर्ष 1984 और 1986 में कानूनों को अधिक कड़ा बनाने के उद्देश्य से संशोधित किया गया। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 में, केवल दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों से कड़ाई से निपटने के लिए ही नहीं बल्कि 196 विवाहित महिलाओं के साथ निर्मम व्यवहार के मामलों से भी निपटने के लिए, संशोधन किया गया।

सरकार द्वारा तथा कई महिला स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों से प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। दहेज की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ इलैक्ट्रानिक मीडिया के कार्यक्रमों के माध्यम से दहेज की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जनसंचार प्रचार का भी आयोजन किया जा रहा है।

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को महिलाओं पर होने वाले अपराधों से संबंधित विधायन को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

पिछले 5 वर्षों की अवधि में महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों के राज्य-वार/संघ शासित क्षेत्र-वार आंकड़ों से संबंधित विवरण संलग्न है। (**देखिये** परिशिष्ट 162, अनुपत्र सं० 46)

भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ

2084. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान और कश्मीर से सटी पाक सीमा पर 1 जनवरी, 1991 से घुसपैठ की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ की कितनी घटनाएं हुई;

(ग) मारे गये जवानों तथा मारे गए और गिरफ्तार किए गए घुसपैठियों की माह-वार संख्या कितनी है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान इस सीमावर्ती क्षेत्र की चौकसी पर वर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय की गई?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पड़ोसी निगरानी योजना के अधीन प्रताड़ित किया जाना

2085. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई "पड़ोसी निगरानी योजना" के अधीन पड़ोस की निगरानी रखने के लिए व्यक्तियों को प्रताड़ित किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सब्जी मंडी डिवीजन के अधीन प्रताप नगर पुलिस स्टेशन द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इस तरह की प्रताड़ना को रोकने के लिए और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दिल्ली पुलिस को कोई अनुदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि "पड़ोसी निगरानी योजना" के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया गया है।

(ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि मकान नं० 518/2, नई बस्ती, किशनगंज दिल्ली के निवासी श्री ओ०पी० शर्मा नामक एक व्यक्ति से जो कि एक सरकारी कर्मचारी है अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच पड़ताल के बाद उनकी शिकायतों को सही

नहीं पाया गया। श्री शर्मा अब नई बस्ती में नहीं रह रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आगे बताया है कि "पड़ोसी निगरानी योजना" उस क्षेत्र में लागू नहीं की गई है जिस क्षेत्र में शिकायतकर्ता रहता था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Policemen for law and order situations

2086. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a small number of policemen are available in each Police Station for law and order duties;

(b) if so, the details of the present strength of policemen Police Station-wise as on 29th February. 1992;

(c) whether it is a fact that a large number of Policemen have been deployed for V.V.I.Ps. Security;

(d) if so, the details thereof; police-station-wise;

(e) whether Government propose to recruit more policemen in future to look after Law and Order duties effectively; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) Delhi Police have reported that adequate police staff has been sanctioned for each Police Station.

(b) The information is given in the. Annexure. [*See* Appendix CLXII, Annexure No. 47].

(c) and (d) Separate staff is sanctioned for the security of V.V.I.Ps. However, the local police is also detained for duties connected with the arrangements on routes and functions.

(e) and (f) The recruitment to Delhi Police is a continuing process to fill up vacancies resulting on account of retirements, death, resignations, dismissals, etc. of officials and keeping in view the exigencies of law and order and crime requirements.

गृह मंत्रालय के अधीन गैर-सरकारीकरण

2087. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में गैर-सरकारीकरण आरम्भ करने की गृह मंत्रालय को कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Visit of Foreign Team to J&K

2088. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Times of India, New Delhi on 30th January, 1992 under the caption "Human Right-III India likely to set up own panel" wherein it has been stated that foreign body Asia watch sent its team to J and K without informing the Ministry of External Affairs, the Home Ministry or the Government of J and K;

(b) whether Government have conducted any enquiry to find out the circumstance under which the team could visit Jammu and Kashmir and record statements of people against the country; and

(c) if so, the outcome thereof; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Two persons who appeared to have prepared the report of Asia Watch released in May, 1991 reportedly had visited Kashmir Valley as individuals, for which there was no restriction.